R-1140-II/17

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय (म0प्र0) ग्वालियर

(29)

दुष्यन्त कुमार सिंह एड0 द्वारा आज दि. 12/4/17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सुन्दरलाल तनय देवशरण नाई उम्र– 62 वर्ष पेशा–खेती, निवासी ग्राम–बघवारी तहसील–गोपदबनास, जिला–सीधी (म0प्र0) ——————निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन ——————अनावेदक

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय वृत्त सेमरिया, तहसील–गोपदबनास, जिला–सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक – 80/अ–74/2016–17 मे पारित आदेश दिनांक – 20.02.2017 से व्यथित निगरानी।

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959।

दुष्यन्त कुमार सिंह
एडवोकेट
उच्च न्यायालय एवं रेवेन्यू बोर्ड
ग्वालियर–3

मान्यवर,

प्रकरण के सूक्ष्म तथ्य

अ. यह कि आवेदक ग्राम–बघवारी, तहसील–गोपदबनास वृत्त सेमरिया सर्किल जिला–सीधी का पुस्तैनी निवासी है। आवेदक एक भूमिहीन कृषक है। ग्राम–बघवारी में स्थित आराजी खसरा क्रमांक पुराना 690 रकवा 2.547 है0 म0प्र0 शासन की भूमि पर आवेदक का लम्बे समय से कब्जा दखल चला आ रहा है जिस पर आवेदक मकान बनाकर लम्बे समय से आवाद है आवेदक द्वारा आम, कटहल, महुआ के लायन वृक्ष लगाए हुए हैं। जिस पर न्यायालय श्रीमान् तहसील महोदय गोपदबनास के न्यायालय से आवेदक को एक नोटिस दी गई थी कि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1140-दो/17 **जिला** - सीधी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05/04/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री डी.एस. चौहान उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार सेमरिया के प्रकरण क्र. 80/अ-74/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 20.02.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हों। (बी.एम. शर्मा) सदस्य	